



42

॥ श्री ॥

य न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प उज्जैन म0प्र0

क्रमांक :- /2018 रीविजन क्रमांक- 5081/2018/उज्जैन/भू.स.

सत्यनारायण पिता भंवरलालजी जाति जाट

निवासी ग्राम- सिमलावदा तह.बड़नगर -----आवेदक

विरुद्ध

01. गिरधारी पिता नगजी जाति गारी

02. मोहन पिता नगजी जाति गारी

03. नारायण पिता नगजी जाति गारी

निवासीगण ग्राम- सिमलावदा तह.बड़नगर -----अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.सं.

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील बड़नगर के प्रकरण

क्रमांक - 0006/अ-13/17-18 मे पारित आदेश -

दिनांक - 28/6/2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर

पुनरीक्षण याचिका.

माननीय महोदय,

आवेदक की और से पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित प्रस्तुत है

01. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को अंतरीम आवेदन स्वीकार करने मे घोर वैधानिक त्रुटी की है । प्रत्यर्थी का कोई रास्ता पुनरीक्षणकर्ता के भूमि सर्वे नंबर 264 के पश्चिमी मेड़ से नहीं है ।

02. यह कि प्रत्यर्थी द्वारा असत्य तथ्य लिखकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूर्व मे भी प्रत्यर्थी द्वारा एक आवेदन पत्र रास्ते के संबंध मे प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय तहसीलदार महोदय बड़नगर द्वारा निरस्त कर दिया गया । उक्त आवेदन पत्र रास्ते का था तथा बी-121 के हेड पर दर्ज होकर धारा 32 का निराकरण हुआ तत्पश्चात अंतीम निराकरण भी हुआ और उसमे प्रत्यर्थी का आवेदन अंतीम निराकरण कर दिया गया किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा पनः वही तथ्य लिखकर धारा 131 के

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a signature that appears to be 'Rajendra' and some illegible text.

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

42

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5081/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	